न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/123 /17	05–12–2017	19.06.2018

1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम V सन 1970 के अधीन गठित एक निगमित निकाय है जिसका प्रधान कार्यालय यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, मुम्बई–400 021, शाखा कार्यालय एस एस आई ब्रान्च ओखला 173–174 डी एस आई डी सी ओखला इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ,फेज –1, नई दिल्ली 110020.

प्रार्थी

बनाम

1- आर के इण्डस्ट्रीज बी–II/19 जी, एफ मोहन कॉऑपरेटिव इण्डस्ट्रीयल एस्टेट देहली 110020 जरिये तन्हा मालिक राकेश दुआ पुत्र श्री बी एल दुआ, निवासी 62 (बेसमेंट/ग्राउण्ड फलोर) सुखदेव विहार,नई दिल्ली

2- श्रीमती रेणु दुआ धर्मपत्नि राकेश दुआ पुत्र श्री बी एल दुआ, निवासी 62 (बेसमेंट/ग्राउण्ड फ्लोर) सुखदेव विहार,नई दिल्ली

3. जनरल गारमेन्टस देहल प्राईवेट लिमिटेड बी–II/19 मोहन कॉऑपरेटिव इण्डस्ट्रीयल एस्टेट ,बदरपुर, न्यू देहली 110044.

अप्रार्थीगण/ऋणी व गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर **1. सम्पत्ति वाके 62 सुखदेव विहार नई दिल्ली (बेसमेंट) मालिक राकेश दुआ 2.सम्पत्ति वाके 62 सुखदेव विहार नई दिल्ली (ग्राउण्ड फ्लोर) मालिक रेणु दुआ 3. प्लेज ऑफ डी आर सी 4. इण्डस्ट्रीयल प्लाट नं0 बी 822 वाके रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाड तहसील तिजारा जिला अलवर मालिक मैसर्स आर के इण्डस्ट्रीज 5. स्टॉक कीमती 560. 69 लाख (स्टोक स्टेटमेंट दिनांक 30.04.2016 के मुताबिक)** रहन रखी थी। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

z

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1..रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2..आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार मुण्डावर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.06.2018**को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

z